न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः – 155/2023 प्रार्थना पत्र
GCMS No. – 2023/509

1. जाकीर हुसैन पिता श्री बाबु खान उर्फ बाबु जी घोसी निवासी घौसी मोहल्ला निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. नासिर हुसैन पिता श्री बाबु खान उर्फ बाबु जी घोसी निवासी घौसी मोहल्ला निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
3. शानु घौसी पिता श्री बाबु खान उर्फ बाबु जी घोसी निवासी घौसी मोहल्ला निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– प्रार्थीगण

बनाम

1. सलामुद्दीन पुत्र बुन्दु खां घोसी निवासी कमधज नगर निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
2. सुल्तान मोहम्मद पुत्र कालु जी घोसी निवासी कमधज नगर निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा, तहसील कार्यालय निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थित :– 1– श्री रामचन्द्र धाकड – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01
2– श्री अमरचन्द धाकड – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 02

:: निर्णय :: दिनांक :– 23.10.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त उनवान का अर्न्तगत धारा 88, 188, 209 का वाद पेश कर दिया हैं, जो ठोस तथ्यों पर आधारित है जो आगे चलकर अवश्य डिक्री होगा ऐसी पूरी सम्भावना है।

2. प्रार्थीगण व विपक्षी नम्बर 1 व 2 की कृषि आराजियात वाके मौजा साकरिया पटवार हल्का रानीखेडा तह0 निम्बाहेड़ा के खाता संख्या 318 की आराजी नं0 176 रकबा 0.9400 हेक्टेयर तथा आराजी नम्बर 810/178 रकबा 0.2500 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.1900 हेक्टेयर स्थित हैं। नवीन नम्बर 176 जिसके साबिक मुल आराजी नम्बर 77 रकबा 35 बीघा 2 बिस्वा थे तथा नवीन नम्बर 810/178 जिसके पुराने साबिक मुल आराजी नं0 78 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, तथा पूराने साबिक मुल आराजी नं0 85 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा थे जिसका नवीन नम्बर 166 रकबा 0.4600 हेक्टेयर थे। प्रार्थीगण के पिता बाबु खां उर्फ बाबु एवं विपक्षी नम्बर 1 के पिता बुन्दु खां तथा विपक्षी नम्बर 2 सुल्तान मोहम्मद आपस में सगे भाई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Runadia
Date: 2024.01.06 18:42:53 IST
Reason: SelfAttested

3. वादग्रस्त कृषि आराजियात जो कालुखां के तीन पुत्र बुन्दु खां, बाबु खां उर्फ बाबु व सुल्तान मोहम्मद द्वारा अपनी संयुक्त आय से क्रय की थी, तथा वादग्रस्त कृषि आराजी बुन्दु खां, बाबु खां उर्फ बाबु व सुल्तान मोहम्मद के नाम 1/3–1/3 हक हिस्से अनुसार खातेदारी में दर्ज हुई। बुन्दु खां घर के सबसे बडे सदस्य थे तथा बाबु खां उर्फ बाबु व सुल्तान मोहम्मद छोटे थे और कर्ता खानदान बुन्दु खां थे, तथा तीनों भाईयों मे आपसी

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

प्रेम होने से बुन्दु खां के द्वारा उसके 1/3 हक हिस्से में मौखिक रूप से बावु खां उर्फ बावु का हक हिस्सा मानते हुवे, बुन्दु खां के कहने पर बावु खां उर्फ बावु के 1/3 हक हिस्से की जमीन को बुन्दु खां व बाबु खां द्वारा सहमति से विक्रय किया गया, तथा उक्त विक्रय की प्रतिफल राशि को बुन्दु खां व बाबुखां उर्फ बावु में आपस में बराबर बराबर बाटा गया, तथा 1/3 हिस्सा सुल्तान मोहम्मद का पृथक रखा गया। सुल्तान मोहम्मद अपने 1/3 हक हिस्से पर आज भी काविज चला आ रहा हैं, तथा बुन्दु खां, बावु खां उर्फ बावु अपने–अपने हक हिस्से पर काबिज चले आ रहे थे तथा वादग्रस्त आराजियात में से मुल आराजी नं0 77. 78 एवं 85 के रकबे मे से राजस्थान सरकार द्वारा सड़क मार्ग हेतु समय समय पर आराजियात अवाप्त की गई जिसका मुआवाजा भी बुन्दु खां विपक्षी नम्बर 1 द्वारा प्राप्त किया गया, तथा बुन्दु खा व बाबुखां उर्फ बावु के देहान्त के बाद उनके वारिसान प्रार्थीगण व विपक्षी नम्बर 1 शेष 1/3 हिस्से पर काविज चले आ रहे हैं, बुन्दु खां के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजियात अकेले विपक्षी नम्बर 1 के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हो गई, जबकि वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थीगण व विपक्षी नम्बर 1 बराबर हक हिस्से अनुसार बुन्दु खां व बाबु खां के समय से काविज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड मे घोषित करा दर्ज कराने हेतु विपक्षी नम्बर को कहा तो विपक्षी नम्बर 1 टाल चाल कर रहा है तथा प्रार्थीगण का हक हिस्सा मानने से इंकार हो रहा है, तथा विपक्षी नं० 1 को मौतवीरान द्वारा समझाई करने पर भी नही मान रहा है इसलिए वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजियात में विपक्षी नम्बर 1 के हक हिस्से मे प्रार्थीगण का संयुक्त 1/2 हक हिस्से की घोषणा प्रार्थीगण कराने के अधिकारी हैं।

4. वादग्रस्त कृषि आराजियात जो कालुखां के तीन पुत्र बुन्दु खां, बावु खां उर्फ बावु व सुल्तान मोहम्मद द्वारा अपनी संयुक्त आय से क्रय की थी, तथा वादग्रस्त कृषि आराजी बुन्दु खां, बाबु खां उर्फ बाबु व सुल्तान मोहम्मद के नाम 1/3–1/3 हक हिस्से अनुसार खातेदारी में दर्ज हुई। बुन्दु खां घर के सबसे बड़े सदस्य थे तथा बावु खां उर्फ बावु व सुल्तान मोहम्मद छोटे थे और कर्ता खानदान बुन्दु खांथे तथा तीनों भाईयों में आपसी प्रेम होने से बुन्दु खां के द्वारा उसके 1/3 हक हिस्से में मौखिक रूप से बावु खां उर्फ बावु का हक हिस्सा मानते हुवे, बुन्दु खां के कहने पर बावु खां उर्फ बावु के 1/3 हक हिस्से की जमीन को विक्रय किया गया तथा उक्त विक्रय की प्रतिफल राशि को बुन्दु खां व बावु खां उर्फ बावु में बराबर–बराबर बाटा गया तथा 1/3 हिस्सा सुल्तान मोहम्मद का पृथक रखा गया सुल्तान मोहम्मद अपने 1/3 हक हिस्से पर आज भी काविज चला आ रहा हैं, तथा बुन्दु खां, बाबु खां उर्फ बावु काबिज चले आ रहे थे। बुन्दु खां के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजियात अकेले विपक्षी नम्बर 1 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई, जबकि वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थीगण व विपक्षी नम्बर 1 बराबर हक हिस्से अनुसार बुन्दु खां व बाबु खां के समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड मे घोषित करा दर्ज कराने हेतु विपक्षी नम्बर 1 को कहा तो विपक्षी नं0 1 टाल चाल कर रहा है तथा प्रार्थीगण का हक हिस्सा मानने से इंकार हो रहा है, जबकि पूर्व मे विपक्षी नम्बर 1 व प्रार्थीगण के मध्य पारिवारिक समझौते मे प्रार्थीगण को 6 बीघा भूमि विपक्षी नम्बर 1 के नाम दर्ज हक हिस्से मे से देना तय हुआ था परन्तु विपक्षी नम्बर 1 के मन मे वदयान्ती आ जाने तथा जमीनो की कीमते बढ़ जाने से विपक्षी नम्बर 1 प्रार्थीगणो के नाम पर 6 बीघा भूमि नाम पर कराने से टाल चाल कर रहा है तथा विपक्षी नम्बर 1 को मौतवीरान द्वारा समझाई करने पर भी नही मान रहा है तथा विपक्षी नम्बर 1 दिगर विपक्षीगण व दिगर लागो के सिखावे में आकर वादग्रस्त आराजियात को रहन बय बक्शीश के माध्यम से खुर्द बुर्द हस्तांतरण करने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण को उसके हक हिस्से व कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा है, तथा समझाने बुझाने पर नहीं मान रहा है मरने मारने पर उतारू हो रहा है,इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगण को अरथाई निषेधाज्ञा से पावंद कराने के अधिकारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:42:53 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 3 तहसीलदार निम्बाहेड़ा प्रकरण में अपना जवाब नहीं देना चाहते है

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

इसलिए विपक्षी संख्या 3 का जवाब बन्द किया गया। विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अमरचन्द धाकड ने मूलवाद में इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

6. विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव ने अधिकार पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण में अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है:–

I. प्रार्थीगण व विपक्षी नं. 2 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे की होना अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि विपक्षी क्रमांक 1 के खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादग्रस्त आराजियात जिसके पुराने आराजी नं. 77, 78 थे। उक्त आराजियात पूर्व में बूंदू खां, बाबु खां व सुल्तान खां की संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी तथा तीनो भाई करीब 40 वर्ष पूर्व अलग अलग हो गये थे तथा अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर अलग अलग काबिज चले आ रहे थे तथा तीनो भाई अलग होने के बाद बूंदू खां जी पहले व बाद में कभी भी कर्ता खानदान नहीं थे तथा बूंदू खां जी के 1/3 हक हिस्से में मौखिक रूप से बाबु खां जी के 1/3 हिस्से की जमीन को बूंदू खां जी की सहमति से कभी भी बाबू खां जी द्वारा विक्रय नहीं किया गया है तथा मौखिक रूप से बाबु खां उर्फ बाबु का कोई हक हिस्सा नहीं माना था बाबु खां ने अपने 1/3 हक हिस्से की भूमि स्वयं की इच्छा से विक्रय की गयी थी और प्रतिफल राशि बाबु खां जी द्वारा ही प्राप्त की गयी थी तथा कोई प्रतिफल राशि बूंदू खां जी द्वारा प्राप्त नहीं की गयी है। सभी का पृथक पृथक कब्जा चला रहा है तथा बाबु खां जी ने अपने जीवनकाल में अपने 1/3 हक हिस्से व कब्जे में आयी भूमि जो वादग्रस्त पुराने आराजी नं. 77 रकबा 35 बीघा 2 बीस्वा में अपना सम्पूर्ण 1/3 हक हिस्सा वादीगण के पिता बाबु खां द्वारा आज से करीब 32 वर्ष पूर्व अपने जीवनकाल में दिनांक 18–09–1991 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय कर मौके पर साकी मोहम्मद पिता सादुल्ला खां मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा को विक्रय कर मौके पर कब्जा सूपूर्द कर दिया। तभी से वादीगण के पिता बाबु खा जी के बजाय उनका सम्पूर्ण 1/3 हक हिस्सा नामान्तरण संख्या 536 दिनांक 07–01–1991 से जमाबन्दी संवत् 2045–48 पर उक्त भूमि बाबु खां जी से राजस्व रिकार्ड में साकी मोहम्मद जी के नाम दर्ज हुई और साकी मोहम्मद जी के देहान्त के बाद उक्त भूमि सलीम खां पिता साकी मोहम्मद जी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। इस प्रकार वादीगण के पिता द्वारा उनका जो भी हक हिस्सा था वह आराजी नं. 77 में से अपना 1/3 हिस्सा आज से करीब 32 वर्ष पूर्व विक्रय किया जा चुका है और मौके पर कब्जा सूपूर्द किया जा चुका है जिस पर सलीम खां जी का कब्जा चला आ रहा है तथा बूंदू खां जी का देहान्त सन् 2003 में हो गया है बूंदू खां जी के देहान्त के बाद उनके 1/3 हिस्से पर विपक्षी क्रमांक 1 का अपने पिता के जीवनकाल से शांतिपूर्ण तरीके से कब्जाचला आ रहा है तथा सुल्तान खां जी की 1/3 हिस्से की भूमि पर सुल्तान खां जी का कब्जा चला आ रहा था पुराने आराजी नं. 78 की 1/3 हिस्से की भूमि पर बाबु खां जी का कब्जा चला आ रहा था तथा वादग्रस्त पुराने आराजी नं. 77 व 78 का विपक्षी क्रमांक 1 द्वारा अपने 1/3 हिस्से की भूमि को अलग कराने का बंटवाड़े का वाद माननीय न्यायालय में पेश किया था और माननीय न्यायालय के आदेश से नामान्तरण संख्या 858 दिनांक 16–05–2005 से पुराने आराजी नं. 77 मीन में से 7 बीघा 2 बीस्वा भूमि तथा नामान्तरण संख्या 857 दिनांक 16–05–2005 से आराजी नं. 78 ... नं. 85 कुल किता 2 कुल रकवा 5 बीघा 14 बीस्वा में से नामान्तरण संख्या 857 से उक्त भूमि में से 1 बीघा 10 बीस्वा भूमि बूंदू खां जी के वारिसान के ... खातेदारी में दर्ज हुई तथा बाबु खां जी की आराजी ... में से 1 बीघा 10 बीस्वा भूमि अलग खातेदारी में दर्ज हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:42:53 IST
Reason: SelfAttested

II. वादग्रस्त भूमि का पूर्व में कानूनन रूप से प्रार्थीगण के पिता बाबु खां जी के जीवनकाल में ही अलग अलग बंटवाडा हो गया है इसलिये विपक्षी क्रमांक 1 की खातेदारी व कब्जे भूमि में प्रार्थीगण का कोई ताल्लुक व सरोकार नहीं रहा है। इसलिये उक्त चरण में वर्णित अनुसार सभी तथ्य गलत अंकित किये है। बूंदू खां, बाबु खां व सुल्तान खां का परिवार अलग अलग था व तीनों भाई अलग अलग रहते थे। तथा आपसी सहमति से तीनों भाई अलग अलग काबिज़ चले आ रहे थे और

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

पूर्व के बंटवाड़े के मानकर कानूनी रूप से बंटवाड़ा कर लिया। इसलिये वादग्रस्त जमीन में बूंदू खां जी द्वारा मौखिक रूप से उक्त भूमि में बाबु खां जी का हिस्सा मानना व बूंदू खां व बाबु खां की सहमति से जमीन विक्रय करना व प्रतिफल राशि बराबर बांटने का तथ्य झूठा लिखा है स्वीकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा किसी हैसियत से मौके पर कभी नहीं रहा है। इसलिये प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में राजस्व रिकार्ड में घोषित कराने व विपक्षी क्रमांक 1 द्वारा टाल चाल करने का तथ्यगलत लिखा है स्वीकार नहीं है इसलिये विपक्षी क्रमांक 1 की खातेदारी व कब्जे की भूमि में किसी प्रकार से अपना 1/2 हक हिस्सा घोषित कराने के अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त आराजियात जिसके पुराने आराजी नं. 77, 78 थे उक्त आराजियात पूर्व में बूंदू खां बाबू खां व सुल्तान खां की संयुक्त खातेदारी की थी।

III. बाबु खां जी ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त पुराने आराजी नं. 77 रकबा 35 बीघा 2 बीवा में दर्ज अपना सम्पूर्ण 1/3 हक हिस्सा वादीगण के पिता बाबु खां द्वारा आज से करीब 32 वर्ष पूर्व अपने जीवनकाल में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18–09–1991 से साकी मोहम्मद पिता सादुल्ला खां मुसलमान निवासी निम्बाहेडा को विक्रय कर मौके पर कब्जा सुपूर्द कर दिया। तभी से वादीगण के पिता बाबु खां जी के बजाय उनका सम्पूर्ण 1/3 हक हिस्सा नामान्तरण संख्या 536 दिनांक 07–00–1991 से जमाबन्दी संवत् 2045–48 पर उक्त भूमि बाबु खां जी से राजस्व रिकार्ड में साकी मोहम्मद जी के नाम दर्ज हुई और साकी मोहम्मद जी के देहान्त के बाद उक्त भूमि सलीम खां पिता साकी मोहम्मद जी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है तथा शेष भूमि पुराने आराजी नं.77, 78 व 85 का कानूनन रूप से बंटवाड़ा सन् 2005 में हो गया है और नामान्तरण संख्या 857 व 858 से अलग अलग खातेदारी में दर्ज हो गयी है और प्रार्थीगण के पिता की बंटवाड़े में मिली पुराने आराजी नं. 78 मीन रकबा 1 बीघा 2 बीस्वा 78 रकबा 4 बीस्वा व 85 रकबा 4 बीस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा भूमि अलग खातेदारी में दर्ज हुई थी जो फर्दन फर्दन करके अलग अलग व्यक्तियों के नाम करा दी है तथा बंटवाड़े से वादग्रस्त भूमि विपक्षी क्रमांक 1 के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। जब कानूनन रूप से सम्पूर्ण भूमि का बेटवाड़ा हो गया है और प्रार्थीगण के पिता का व उनके देहान्त के बाद प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा व कब्जा किसी हैसियत से नहीं रहा है। इसलिये प्रार्थीगण उक्त भूमि में अपना 1/2 हक हिस्सा घोषित कराने के अधिकारी नहीं है तथा मुझ विपक्षी क्रमांक 1 की खातेदारी व कब्जे की भूमि बाबत् किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने का अधिकारी नहीं है। पूर्व में विपक्षी नं. 1 व प्रार्थीगण के मध्य 6 बीघा भूमि बाबत कोई समझौता नहीं हुआ है तथा कोई हिस्सा देना तय नहीं हुआ है इसलिये उक्त चरण में वर्णित सम्पूर्ण तथ्य गलत लिखे है जो स्वीकार नहीं है।

IV. सुल्तान खाँ जी द्वारा अपने हिस्से व बंटवाड़े की भूमि को आवासीय रूपान्तरित कराकर भूखण्ड काटकर अलग अलग व्यक्तियों को बेच दिये है उक्त रूपान्तरित भूखण्ड विपक्षी क्रमांक 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी के उत्तर दिशा में स्थित है और विपक्षी क्रमांक 1 द्वारा अपने खातेदारी व कब्जे की भूमि की पत्थरगढ़ी प्रार्थी क्रमांक 1 की मौजूदगी [illegible] /2022 वर्ष 2022 में पत्थरगढ़ी करायी गई है जिसमें भी वादग्रस्त भूमि पर [illegible] क्षी क्रमांक 1 का होना अंकित किया है तथा माननीय न्यायालय के आदे[illegible] दिनांक 13–07–2023 को माननीय न्यायालय के आदे[illegible] प्रार्थीगण [illegible] की मौजूदगी में विपक्षी क्रमांक 1 की खातेदारी [illegible] भूमि की न्यायालय आदेश क्रमांक/राजस्व/2023/126 दिनांक 05–07–2023 की पालना में दुबारा पत्थरगढ़ी की गयी थी जिसमें वादग्रस्त भूमि पर मौके पर विपक्षी क्रमांक 1 का शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा होना अंकित किया है इस प्रकार मौके पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा किसी हैसियत से नहीं रहा है वादग्रस्त भूमि पर विपक्षी नं. 1 अपनी खातेदारी व कब्जे की भूमि पर शान्तिपूर्ण तरीके से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। इसलिये प्रार्थीगण विपक्षी क्रमांक 1 के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:42:53 IST
Reason: SelfAttested

कराने के अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर विपक्षी क्रमांक 1 का शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा चला आ रहा है। इसलिये प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है सुविधा संतुलन विपक्षी क्रमांक 1 के पक्ष में है और अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित करने की सूरत में अपूर्णीय क्षति विपक्षी क्रमांक 1 को होगी। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे एवं विपक्षी को अनावश्यक समय व धन की पूर्ति हेतु उचित अनुतोष दिलायी जाने हेतु निवेदन किया।

7. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को प्रचलित किए जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

8. उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विशलेषण इस प्रकार है—

I. **प्रथम दृष्टया मामला**— किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी का स्वामित्व तथा कब्जा होना प्रथम शर्त है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी होकर प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 के पिता तथा विपक्षी संख्या 2 सुल्तान मोहम्मद द्वारा संयुक्त परिवार की आय से खरीदी गई थी जिसकी ताईद के रूप में सुल्तान मोहम्मद द्वारा अपने इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र में भी अंकित किया गया है। तथा जिस विक्रेता साकी मोहम्मद को बुन्दु व बाबुखां द्वारा बाबुखां का हिस्सा विक्रय किया गया था। साकी मोहम्मद के पुत्र सलीम खां ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिसमे यह ताईद की गई की उक्त जमीन बाबु खां द्वारा बुन्दु खां के कहने पर बेची थी। और जिसका विक्रय धन बुन्दु खां व बाबु खां दोनो ने बराबर बराबर भाग में बाटा था एवं मौजा साकरिया पटवार हल्का रानीखेडा की विवादित आराजियात संख्या 176 रकबा 0.9400 हैक्टैयर, अराजी नम्बर 810/178 रकबा 0.2500 हैक्टैयर भूमि जो विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज है जिसमे से प्रार्थीगण के हिस्से को सुरक्षित रखा जाना न्याय हित में आवश्यक है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है। चूंकि यह निर्णय मूल वाद में साक्ष्य, गवाह से गुणावगुण के आधार पर तय होना है तब तक विवादित भूमि को संरक्षित रखना आवश्यक प्रतीत होता है। किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण से अनावश्यक वाद बढ़ने की पूर्ण सम्भावना है।वादग्रस्त भूमि में विपक्षी संख्या 1 के द्वारा उक्त भूमि का बेचान करने के बाद वाद की बहुलता बढेगी जिसे न्यायहित में रोका जाना आवश्यक है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:42:53 IST
Reason: SelfAttested

II. **अपूरणीय क्षति**— किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा ... में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थीगण को विवादित आराजी को सुरक्षित रखने का अधिकार है। क्योंकि उक्त विवादित आराजियात का बेचान होने के बाद वाद की बहुलता बढ़ने व नये पक्षकारों के आने से विवाद बढेगा जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के बनने वाले हिस्से को सुरक्षित किया जाना आवश्यक है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में हैं

III. **सुविधा का संतुलन** :— किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में होने से सुविधा का संतुलन की प्रार्थीगण के पक्ष में है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूवर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात विपक्षी संख्या 1 के के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 दोनों का हक हिस्सा निहित है। प्राथीगर्ण ने मूल वाद में अपने हक हिस्से की घोषणा एवं बंटवारा चाहा है। उक्त प्रकरण में वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीगण के हक हिस्से की एवं विपक्षी संख्या 1 मध्य घोषणा एवं बटवारे से पहले विपक्षी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजियात का बेचान किया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी हक हकूक का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य एवं गवाही के उपरान्त ही हो सकेगा, तब तक वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के हिस्से को मूल वाद के निर्णय तक सुरक्षित रखाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण से अनावश्यक वाद बढ़ने की पूर्ण सम्भावना है। पक्षकारान के मध्य व्यर्थ की मुकदमेबाजी को रोकने के लिए विपक्षीगणों को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात मौजा साकरिया पटवार हल्का रानीखेडा तहसील निम्बाहेड़ा के खाता संख्या 318 की आराजी नं0 176 रकबा 0.9400 हेक्टेयर तथा आराजी नम्बर 810/178 रकबा 0.2500 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.1900 हेक्टेयर स्थित भूमि में विपक्षीगण वादग्रस्त आराजियात की राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

23/10/23

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:42:53 IST
Reason: SelfAttested